

## मध्यप्रदेश पर्यटन बोर्ड

6<sup>th</sup> फ्लोर, लिली ट्रेड विंग, जहाँगीराबाद, भोपाल - 462008

फोन 0755-2780600, ई-मेल - tpu@mptourism.com

04 मार्ग सुविधा केन्द्रों (ग्रीन फील्ड) की निविदा हेतु प्री बिड मीटिंग दिनांक 13/07/2021

क्र.	निवेशकों द्वारा पूछे गये प्रश्न	म.प्र. पर्यटन बोर्ड द्वारा दिये गये उत्तर
1	यदि प्रथम उच्चतम निविदाकार राशि जमा नहीं करता है तो क्या द्वितीय उच्चतम निविदाकार को दिया जायेगा ?	RFP में ऐसा प्रावधान नहीं है
2	ईएमडी की राशि वापिस की जावेगी अथवा नहीं ? ईएमडी की राशि का समायोजन हो सकता है अथवा नहीं ?	RFP की कंडिका 2.6 के प्रावधान अनुसार ईएमडी की राशि वापिसी योग्य है । ईएमडी की राशि का सफल निविदाकार के प्रिमियम राशि में समायोजन किया जा सकता है ।
3	अनुबंध हो जाने के बाद कितने माह में निर्माण कार्य पूरा कर संचालन चालू करना होगा ।	मार्ग सुविधा केन्द्रों की नीति (2016) यथा संशोधित 2019 की कंडिका 3.2.8 के अनुसार समयावधि प्रदान की जायेगी ।
4	टेंडर में नेटवर्थ एवं टर्न ओवर का क्या प्रावधान है ?	RFP की कंडिका 4.1.2 के अनुसार निविदा में नेटवर्थ 25.00 लाख अथवा टर्न ओवर 50.00 लाख होने पर केवल एक WSA के लिये टेंडर हेतु आवेदन कर सकेगा।
5	नेटवर्थ/टर्न ओवर की आधार पर एक से अधिक WSA हेतु टेंडर भरा जा सकता है ?	एक से अधिक निविदा पर आवेदन करने के लिए टर्न ओवर एवं नेटवर्थ टेंडर की संख्या के गुणांक के अनुसार होगी । एक से अधिक WSA के लिये पृथक - पृथक आवेदन किया जा सकता है । For example: - if a bidder applies for two WSAs his eligible financial capability will be considered as following : i) Net Worth – 25 X 2 = 50.00 lakh OR ii) Last 3 years turnover each year – 50 X 2 = 100 lakh for each year If a bidder applies for three WSAs his eligible financial capacity will be considered as following : i) Net Worth – 25X3 = 75.00 lakh OR ii) Last 3 years turnover each year – 50X3 = 150 lakh for each year Similarly for higher numbers of WSAs.

*D. J. J.*

7	क्या WSA में आवासीय रूम एवं मैरेज गार्डन बनाये जा सकेंगे ?	मार्ग सुविधा केन्द्रों की नीति (2016) यथा संशोधित 2019 की कंडिका 3.1.9(B) के अनुसार अनुमति दी जा सकती है ।
7	सभी पेपर ऑन लाइन जमा होंगे अथवा आफ लाइन भी जमा कराना होगा ?	RFP की कंडिका 2.2 एवं 2.5 के अनुसार जानकारी केवल ऑन लाइन ही मान्य होगी।
8	WSA का फूड मेन्यू किसका होगा, और सामग्री के दर कौन तय करेगा?	संचालनकर्ता तय करेगा ।
9	मार्ग सुविधा केन्द्र (ग्रीन फील्ड) में म.प्र. टूरिज्म बोर्ड द्वारा क्या क्या सेवायें उपलब्ध होगी ।	RFP का 16 Annexure 2: Draft Lease Agreement की कंडिका क्रमांक 4.1 के प्रावधान अनुसार म.प्र. टूरिज्म बोर्ड द्वारा कैंटीलीवर एवं साईनेजेस बोर्ड लगवाये जायेंगे ।
10	क्या मार्ग सुविधा केन्द्र अनुबंध अवधि समाप्त होने के पश्चात् समय और बढ़ेगी ?	अनुबंध की अवधि 30 वर्ष पश्चात् नीति की कंडिका क्रमांक 3.1.5 अनुसार कार्यवाही जा सकती है ।

*Admini*